समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला शहरी विकास अभिकरण)

स्वीकृत्यादेश

(2)

मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यपलक अभियंता, डूडा, मधुबनी -सह- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मधुबनी द्वारा प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

सभी राशि लाख में।

क्रमांक	प्रखंड का नाम	योजना संख्या	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि लाख में	विमुक्त की जाने वाली राशि लाख में
1	झंझारपुर	02/2009-'10	नगर पंचायत झंझारपुर के वार्ड नं.-15 में राम जानकी मंदिर के सामने तालाब में घाट निर्माण	कार्यपलक अभियंता, डूडा, मधुबनी -सह- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मधुबनी	3.132	1.566
				कुल	3.132	1.566

विमुक्त की जाने वाली राशि मो0 एक लाख छप्पन हजार छः सौ रू0 मात्र

योजना कार्यान्वयन की शर्ते →

1. योजना का कार्यान्वयन **मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास कार्यक्रम** की मार्गदर्शिका के अनुरूप प्राक्कलन में विर्निदिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप विभागीय रूप से निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. योजना का सतत् पर्यवेक्षण कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झंझारपुर / जयनगर द्वारा किया जाएगा।
3. योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी की परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इसके लिए संबंधित कनीय अभियंता / सहायक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. योजना का तकनीकी पर्यवेक्षण कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधुबनी स्वयं करेंगे ताकि कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित की जा सके।
5. योजना प्रारंभ करने के पहले , निर्माण के दौरान एवं योजना पूर्ण हाने के पश्चात PHOTOGRAPHY/ VIDEOGRAPHY निश्चित रूप से करायी जाए एवं Photography की एक प्रति संबंधित योजना अभिलेख में रखी जाय एवं उसकी एक–एक प्रति प्रभारी पदाधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी को भी भेजी जाय।
6. योजना में किये गये कार्य की मापी, संबंधित कनीय अभियंता प्रत्येक तीन दिन पर लेंगे तथा संबंधित सहायक अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसी नियमित रूप से योजना का निरीक्षण करेंगे।
7. योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखना अनिवार्य होगा। जिसमे समय–समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रविशिष्टि की जायेगी।
8. योजना में स्थानीय मजदूरों से ही कार्य कराया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान निश्चित रूप उनको भुगतान की गई मजदूरी की प्रविष्टि उनके पारिवारिक पंजीयन कार्ड में निश्चित रूप से की जाय।
9. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित कर लें कि विगत तीन वर्षो में इस योजना में कोई कार्य नहीं हुआ है साथ ही किसी अन्य मद से योजना स्वीकृत अथवा निर्माणाधीन नहीं है।
10. योजना अभिलेख के साथ–साथ मस्टर रॉल एवं अभिश्रव का संधारण अनिवार्य होगा तथा कनीय अभियंता द्वारा सत्यापित होगा।
11. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना के कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। यदि योजना को पूर्ण कराने हेतु प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया जाता है तो पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़ी हुई राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेंसी से की जायेगी।
12. योजना विशेष के लिए आवंटित की गई राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अन्य योजना के लिए नहीं की जाय।
13. योजना स्थल पर योजना का साईन बोर्ड जिसमें योजना का नाम, योजना संख्या, प्राक्कलित राशि, अभिकर्त्ता का नाम, कनीय अभियंता का नाम, मजदूरी दर, एवं योजना पूर्ण करने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा। स्थल पर निरीक्षण पंजी रखी जाए।
14. योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पहली तारीख को निश्चित रूप से भेजी जाएगी।
15. निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना को पूर्ण करा कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर अभिलेख बंद करते हुए पूर्णता सह उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से भेजी जाए।

18/06/09 26/6/09

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक : 106 / जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी   दिनांक : 26 /06/2009

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि का चेक संबंधित कार्यकारी एजेंसी के पदनाम से निर्गत करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/09

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।